



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-01072020-220298  
CG-DL-E-01072020-220298

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1917]  
No. 1917]

नई दिल्ली, मंगलवार, जून 30, 2020/आषाढ़ 9, 1942  
NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 30, 2020/ASADHA 9, 1942

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय  
अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 जून, 2020

**का.आ. 2163(अ).**—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 2 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित तालिका के स्तम्भ (2) और (3) में विनिर्दिष्ट प्रत्येक राजमार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करती है।

उक्त राजमार्गों, जिन्हें अब राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया जाना है, को उक्त तालिका के क्रमशः स्तम्भ (1), (2) और (3) में यथा-निर्दिष्ट नई क्रम संख्याओं, नई राष्ट्रीय राजमार्ग संख्याओं तथा राष्ट्रीय राजमार्गों के विवरण के साथ उक्त अधिनियम की अनुसूची में विनिर्दिष्ट किया गया समझा जाएगा।

## तालिका

क्र. सं.	नई राष्ट्रीय राजमार्ग सं.	राष्ट्रीय राजमार्ग का विवरण
(1)	(2)	(3)
565	बीजी365	तेलंगाना राज्य में थल्लमपाडू के निकट नया रारा-365बीबी के साथ अपने जंक्शन से प्रारंभ होकर मधुलापल्ली, बसवापुरम, सिरीपुरम (केजी), चंद्रपटला, येरागुंटा, थुंबुर, लिंगागुडेम, टी. नरसापुरम, बोरमपलेम, वल्लमपटला, देउलापल्ली, राजावरम, वडलाकुंटा को जोड़ते हुए और आंध्र प्रदेश राज्य में देवरापल्ली के निकट रारा-16 के साथ

		अपने जंक्शन पर समाप्त होने वाला राजमार्ग।
--	--	---

[फा.सं. एनएच-14012/04/2019-पी एंड एम]

राजेश गुप्ता, उप सचिव

**पाद टिप्पणः** राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की अनुसूची भारत के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना संख्या का.आ. 689 (अ), दिनांकित 4 अप्रैल, 2011 द्वारा प्रतिस्थापित की गई थी और बाद में अधिसूचना सं. का. आ. 2065 (अ), दिनांकित 25 जून, 2020 द्वारा इसमें संशोधन किया गया था।

**MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS****NOTIFICATION**

New Delhi, the 29th June, 2020

**S.O. 2163(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 2 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby declares each of the highways specified in columns (2) and (3) of the Table below to be a national highway.

The said highways, now declared to be national highways, shall be deemed to be specified in the Schedule to the said Act with the new serial numbers, the new national highways numbers and the description of the national highways thereof, as indicated in columns (1), (2) and (3) respectively, of the said Table.

**TABLE**

Serial No.	New National Highway No.	Description of National Highways
(1)	(2)	(3)
<b>565</b>	365BG	The highway starting from its junction with new NH-365BB near Thallampadu connecting Madhulapalli, Basvapuram, Siripuram (KG), Chandrupatla, Yerragunta, Thumbar in the state of Telangana, Lingagudem, T.Narasapuram, Borrapalem, Vallampatla, Devulapalli, Rajavaram, Vadalakunta and terminating at its junction junction with NH- 16 near Devarapalle in the State of Andhra Pradesh.

[F. No. NH-14012/04/2019-P&amp;M]

RAJESH GUPTA, Dy. Secy.

**Footnote:**—The Schedule to the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) was substituted vide notification number S.O.689 (E), dated 4th April, 2011 published in the Gazette of India, dated the 4th April, 2011 and subsequently amended vide notifications number S.O. 2065 (E), dated 25th June, 2020.